म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26—अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/मंडी/प्रांगण/बिन्दु क्रमांक—60/334 भोपाल,दिनांक :22/04/2019

प्रति,

सचिव/भारसाधक अधिकारी,
कृषि उपज मंडी समिति,
.........................जिला.................. (समस्त),

विषयः—प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण में वॉल पेंटिंग/विज्ञापन एवं होर्डिंग के संबंध में आदर्श निविदा प्रारूप बावत्।

संदर्भः—कार्यालयीन पत्र क्रमांक मंडी/प्रांगण/कार्ययोजना/बिन्दु क्रमांक—60/4451 दिनांक 04.09.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी/उपमंडी प्रांगण की दीवारों तथा अन्य स्थानों पर वर्तमान में वॉल पेंटिंग/विज्ञापन एवं होर्डिंग के लिए एजेन्सी नियुक्त करने के संबंध में दिशा निर्देश पूर्व में जारी किये गये थे, जिनका परीक्षण कर आवश्यकता अनुरूप सरलीकरण उपरांत पुनः संशोधित दिशा निर्देश तैयार कर संलग्न प्रेषित हैं।

वर्तमान में मंडियों में विभिन्न प्रकार के विज्ञापन मंडी प्रांगण की दीवारों पर देखने का मिलते हैं, जिनके संबंध में यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त विज्ञापन मंडी की अनुमति से सशुल्क या बिना किसी अनुमति अथवा शुल्क के मंडी की दीवारों पर प्रदर्शित किये जा रहे हैं। इस संबंध में संशोधित नीति से प्रत्येक मंडी में एक एजेंसी नियुक्त की जा सकेगी, जो मंडी में प्रदर्शित किये जा रहे विज्ञापनों को न केवल व्यवस्थित तरीके से संचालित कर सकेगी, बल्कि इससे मंडियों को भी नियमित आय प्राप्त होगी।

कृपया इस संबंध में आवश्यक तैयारियॉ कर लेवें और आचर संहिता समाप्त होने के बाद मंडी स्तर से निविदा जारी कर एजेंसी नियुक्त करने की कार्यवाही करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क्रमांक/मंडी/प्रांगण/बिन्दु क्रमांक—60/335 भोपाल,दिनांक :22/04/2019

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2— अपर संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
3— मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
4— संयुक्त संचालक/उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ........... (समस्त) की ओर पालनार्थ ।
5— कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग ............................... (समस्त)।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

# कृषि उपज मंडी समितियो की सम्पत्तियों पर विज्ञापन प्रकाशन की नीति

मध्यप्रदेश में 257 कृषि उपज मंडी समितियां तथा 299 उपमंडी प्रांगण स्थित है। इनमें से अधिकांश मंडी/उपमंडी प्रांगण शहरी क्षेत्र में होने से इनकी सम्पत्तियो जैसे भवन और परिसर आदि विज्ञापन प्रकाशन के लिये उपयोगी हो सकते है जिससे मंडी समितियो की संरचनाओं के रख–रखाव एंव परिसरों के विकास के लिये विज्ञापन के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। इसके लिये प्रदेश की सभी मंडी समितियों के लिये एक्जाई विज्ञापन नीति की आवश्कता है। अतः मंडी समितियो की सम्पत्तियो को निजि संस्थाओं/एजेन्सीयो के माध्यम से विज्ञापन प्रर्दशन के लिये आंवटित की जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश/शर्ते निर्धारित की जाती है, जो कि सभी मंडियो के लिये प्रभावशील होंगीं :–

01 कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण /उपमंडी प्रांगण में वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग की स्थापना हेतु स्थल का चयन कर मंडी समिति के अभिन्यास मे संबंधित कार्यपालन यंत्री से अनुमोदन प्राप्त करेगी।

02 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग हेतु चयनित स्थल के संबंध में मंडी समिति प्रस्ताव पारित कर स्वीकृति प्रदान करेगी।

03 मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में स्थल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये वॉल पेंटिग/होर्डिंग के साईज का निर्धारण सचिव कृषि उपज मंडी समिति/ सहायक यंत्री द्वारा किया जायेगा।

04 मंडी प्रांगण में चयनित स्थल पर वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग के लिए 5 वर्ष के लिये एजेन्सी नियुक्त करने के संबंध में इक्छुक व्यक्तियो/संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जावे।

05 <u>निविदा का प्रकाशनः–</u>

01 राज्यस्तरीय तथा 02 प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रो में 21 दिवस (03 सप्ताह) पूर्व विज्ञापन प्रकाशित कर निविदा आंमत्रित की जायेगी। निविदा सूचना मंडी बोर्ड की बेवसाइट एंव मंडी समिति के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी।

06 निविदा 03 लिफाफा पद्धति से आंमत्रित की जावेगीं। प्रथम लिफाफे में धरोहर राशि की एफ.डी. आर, विगत 03 वर्ष का टर्नओवर, एंव विगत 03 वर्षो की आयकर विवरणी, शासकीय /अर्द्धशासकीय /निजी संस्था में किये गये कार्य का 03 वर्ष अनुभव प्रमाण पत्र तथा संबंधित सक्षम प्राधिकरी का पंजीयन प्रमाण पत्र (तकनीकी बिड् ) रखी जावेगी। एंव दूसरे लिफाफे में निविदा की दरे,( वित्तीय बिड) रखी जावेगी।उक्त दोनो लिफाफे एक तीसरे बडे लिफाफे में रखे जावेगे। सर्वप्रथम तकनीकी लिफाफा खोला जावेगां। निविदा के संबंध में समस्त दस्तावेज/अभिलेख चेक करने के उपरान्त ही वित्तीय दरे बिड् खोली जावेगी। यदि निविदा

के आवश्यक दस्तावेज /अभिलेख गलत पाये जाते है। तो उसकी निविदा दरे नही खोली जावेगी। ठेकेदार द्वारा मंडी प्रांगण में वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग की पूरे चयनित स्थान हेतु एक मुश्त वार्षिक दर अंकित की जायेगी।

07 मंडी समिति के प्रांगण के प्रवेश गेट एंव निर्गमन गेट से 15 फीट का स्थान मंडी समिति के विज्ञापन हेतु आरक्षित रहेगा, उक्त आरक्षित स्थान पर विज्ञापन एजेन्सी का विज्ञापन प्रतिबंधित होगा।

08 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग के लिए हेतु इच्छुक आवेदक/संस्था से निविदा में राशि रूपये 10000/–सुरक्षा निधि (प्रतिभूति) डी. डी. आर. के रूप में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति में जमा कराना अनिवार्य होगी। सुरक्षा निधि जिस आवेदक/संस्था की प्राप्त नहीं होगी उनकी निविदा मान्य नही की जाये।

09 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग की स्थापना हेंतु आंमत्रित निविदा में जिस एजेंसी की उच्चतम दरे प्राप्त होगी। उसकी निविदा मान्य की जावेगी।

10 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग की नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/नगर पंचायत द्वारा उस क्षेत्र के लिये स्वीकृत दरो के विचार में लेते हुए संबंधित मंडी समिति न्यूनतम दर निर्धारित करेगीं।

11 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग निविदा में निर्धारित दर से कम दर प्राप्त होने पर गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कर मंडी समिति द्वारा पुनः निविदा आंमत्रित की जायेगी।

12 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग की निविदा स्वीकृत की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त 30 दिवस की अवधि में अनुबंध कर प्रथम वर्ष कि किश्त की राशि मंडी समिति में जमा कराना अनिवार्य होगा।

13 प्रत्येक वर्ष की किश्त आगामी वर्ष में अनुबंध दिनांक से 01 माह की अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा।

14 वॉल पेंटिग/होर्डिंग के संबंधित एजेंसी को संबंधित कृषि उपज मंडी समिति से राशि रू 1000/– के स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। उभय पक्षो को मध्य निष्पादित अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन होने पर मंडी समिति द्वारा अनुबंध निरस्त किया जावेगा तथा उसकी जमा राशि को राजसात कर लिया जावेगा, तथापि इस हेतु द्वितीय पक्ष को कारण बताओं सूचना पत्रो जारी कर सात दिवस की अवधि मे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा

15 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग हेंतु विज्ञापन अवधि पांच वर्ष की रहेगी। जिसे उभय पक्षो की सहमति से दरो में न्यूनतम दस प्रतिशत राशि की वृद्धि के साथ एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है । वृद्धि करने का अधिकार मंडी समिति का होगा।

16 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग के विज्ञापनो की स्थापनाओं में कृषि, उद्यानिकी, उत्पादन विपणन प्रसंस्करण आदि से संबंधित कृषकों के उपयोगी विषय वस्तु की अनुमति होगी,किन्तु एजेन्सी द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन प्रोडक्ट की पुष्टी/सत्यापन , गारन्टी मंडी समिति की नही होगी। प्रत्येक विज्ञापन मे नीचे इसका उल्लेख होना चाहिये।

17 स्वीकृत विज्ञापित एजेन्सी के विज्ञापन बोर्ड, दिवाल आदि विज्ञापन स्थलो पर आवश्यकतानुसार शासन योजना के प्रचार भी किये जा सकेगे, जिसकी अवधि एक माह से अधिक नही होगी। शासकीय विज्ञापन के दौरान पर किसी भी प्रकार का शुल्क/फीस देय नही होगीं।

18 मंडी प्रांगण के भीतर विज्ञापन एजेन्सी द्वारा प्रदर्शित/लगाये गये होर्डिंग पर नगरीय निकाय/स्थानीय निकाय को किसी प्रकार का शुल्क प्राप्त करने का अधिकार नही होगा, क्योंकि मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 9(3) में मंडी एंव उपमंडी प्रांगण या बोर्ड के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये गये परिसर यथास्थिति, नगरनिगम, नगरपालिका परिषद ,अधिसूचित क्षेत्र ग्राम पंचायत या विशेष क्षेत्र प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित नही माने गये है।

19 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग की विषय वस्तु में किसी जाति धर्म, समुदाय तथा व्यक्ति विशेष से संबंधित कोई आपत्तिजनक चित्र/आलेख को प्रदर्शित नही किया जावेगां। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित एजेन्सी की संपूर्ण राशि मंडी हित में राजसात कर एजेंसी के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही जावेगी ।

20 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग की विषय वस्तु में नग्नता ,रंगभेदी विज्ञापन ,मादक पदार्थो ,अल्कोहल, सिगरेट या तम्बाकू के पदार्थो को प्रोन्नत करने वाले विज्ञापन, महिलाओं या बच्चो के शोषण को प्रचारित करने वाले विज्ञापन, पशुओ के प्रति कूरता प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन प्रदर्शित नही किये जावेगे।

21 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग की विषय वस्तु में किसी देश या संस्था के प्रति असम्मान प्रकट करने वाले विज्ञापन , किसी व्यक्ति या व्यक्ति पर कलंक लगाने वाले विज्ञापन, किसी विधि द्वारा प्रतिबंधित विज्ञापन , हिंसा को महिमा मंडित करने वाले विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन जो मानहानिकारक या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा या विधि विरूद्ध रूप से धमकाने या पीड़ित करने के संबंधित हों, प्रदर्शित नही किये जावेगे।

22 वॉल पेंटिग/होर्डिंग की विषय वस्तु में वैवाहिक कार्यक्रम, व्यक्तिगत परामर्श , रोग निदान के चिकित्सा परामर्श आदि विज्ञापन प्रदर्शित नही किये जावेगे।

23 स्वीकृत निविदा आवेदक/संस्था की जमा प्रतिभूति राशि निष्पादित अनुबंध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात यदि आवेदक पर मंडी समिति की किसी भी प्रकार की राशि शेष नही होने की दशा में प्रतिभूति राशि वापिस की जावेगी। जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

24 वॉल पेंटिग/होर्डिंग के संबंध मे किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक /उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जावेगा तथा संयुक्त/उपसंचालक निर्णय अंतिम होगां

25 विज्ञापन समिति– कृषि उपज मडी समिति के लिये निम्नानुसार विज्ञापन समिति होगी–

1. अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी–अध्यक्ष

2. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री–सदस्य

3. मंडी सचिव–सदस्य सचिव

4. लेखापाल–सदस्य

जिस मंडी क्षेत्र में कार्यपानल यंत्री का मुख्यालय है उस मंडी समिति के विज्ञापन समिति में कार्यापालन यंत्री स्वंय सदस्य होगें अन्य प्रतिनिधि मान्य नही होगें।

26 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग का अनुबंध स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा । जो विज्ञापन एजेन्सी को मान्य होगा।

27 संबंधित मंडी समिति द्वारा देयक मे उल्लेखित (GST) की राशि एंव अन्य नियमानुसार भुगतान किये जाने वाले कर सहित देयक का नियमानुसार भुगतान एजेन्सी को किया जावेगा।

28 मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 01 जुलाई 2017 से वस्तु एंव सेवाकर(GST) प्रभावशील है। संबंधित मंडी समिति निविदाकर एजेन्सी से देयक में भुगतान की गई GST की राशि शासन कोष में कराकर प्रमाण मंडी समिति कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

29 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग की एजेन्सी को समस्त वैधानिक प्रावधानो/निर्देशो पालन करना अनिवार्य होगा।

30 एजेन्सी पर निविदा सूचना की समस्त शर्ते बंधनकारी होगी। सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

31 वाद की स्थिति में संबंधित मंडी क्षेत्र का जिला मुख्यालय न्यायालय क्षेत्र होगा।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह–आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

## //अनुबंध//

यह करार नामा श्री ......................................................(ठेकेदार) एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति,.....................जिला ........................ के बीच मण्डी समितियों के प्रांगण में वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग हेतु दिनांक .................. को पांच वर्ष की अवधि के लिये निम्न शर्तो के अधीन अनुबंध निष्पादित किया जाता है:-

01 मंडी समिति के प्रांगण में मंडी समिति के प्रवेश गेट एंव निर्गमन गेट से 15 फीट का स्थान मंडी समिति का विज्ञापन आरक्षित रहेगा, उक्त आरक्षित स्थान पर विज्ञापन एंजेसी का विज्ञापन प्रतिबंधित रहेगा।

02 पेंटिग/विज्ञापन एंव होडिंग हेंतु विज्ञापन अवधि पांच वर्ष की रहेगी। जिसे उभय पक्षो की सहमति से दरो में न्यूनतम दस प्रतिशत राशि की वृद्धि के साथ एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है । वृद्धि करने का अधिकार मंडी समिति का होगा।

03 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होडिंग के विज्ञापनो की स्थापनाओं में कृषि, उद्यानिकी, उत्पादन विपणन प्रसंस्करण आदि से संबंधित कृषकों के उपयोगी विषय वस्तु की अनुमति होगी,किन्तु एंजेन्सी द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन प्रोडक्ट की पुष्टी/सत्यापन , गारन्टी मंडी समिति की नही होगी। प्रत्येक विज्ञापन मे नीचे इसका उल्लेख होना चाहिये।

04 स्वीकृत विज्ञापित एंजेन्सी के विज्ञापन बोर्ड, दिवाल आदि विज्ञापन स्थलो पर आवश्यकतानुसार शासन योजना के प्रचार भी किये जा सकेगे, जिसकी अवधि एक माह से अधिक नही होगी। शासकीय विज्ञापन के दौरान पर किसी भी प्रकार का शुल्क/फीस देय नही होगीं।

05 प्रांगण के भीतर विज्ञापन एंजेन्सी द्वारा प्रदर्शित/लगाये गये होर्डिग पर नगरीय निकाय/स्थानीय निकाय को किसी प्रकार का शुक्ल प्राप्त करने का अधिकार नही होगा, क्योंकि मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 9(3) में मंडी एंव उपमंडी प्रांगण या बोर्ड के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये गये परिसर यथास्थिति, नगरनिगम, नगरपालिका परिषद ,अधिसूचित क्षेत्र ग्राम पंचायत या विशेष क्षेत्र प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित नही माने गये है।

06 पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिग की विषय वस्तु में किसी जाति धर्म, समुदाय तथा व्यक्ति विशेष से संबंधित कोई आपत्तिजनक चित्र/आलेख को प्रदर्शित नही किया जावेगां। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित एंजेन्सी की संपूर्ण राशि मंडी हित में राजसात कर एंजेंन्सी के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जावेगीं ।

07 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिग की विषय वस्तु में नग्नता ,रंगभेदी विज्ञापन ,मादक पदार्थो

,अल्कोहल, सिगरेट या तम्बाकू के पदार्थो को प्रोन्नत करने वाले विज्ञापन, महिलाओं या बच्चो के शोषण को प्रचारित करने वाले विज्ञापन, पशुओ के प्रति कूरता प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन प्रदर्शित नही किये जावेगे।

08 वॉल पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग की विषय वस्तु में किसी देश या संस्था के प्रति असम्मान प्रकट करने वाले विज्ञापन, किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष पर कलंक लगाने वाले विज्ञापन, किसी विधि द्वारा प्रतिबंधित विज्ञापन, हिंसा को महिमा मंडित करने वाले विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन जो मानहानिकारक या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा या विधि विरूद्ध रूप से धमकाने या पीड़ित करने के संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित नही किये जावेंगे।

09 वॉल पेंटिग/होर्डिंग की विषय वस्तु में वैवाहिक कार्यकम, व्यक्तिगत परामर्श , रोग निदान के चिकित्सा परामर्श आदि विज्ञापन प्रदर्शित नही किये जावेगे।

10 वॉल पेंटिग/होर्डिंग के संबंध मे किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक /उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जावेगा तथा संयुक्त/उपसंचालक निर्णय अंतिम होगां

11 पेंटिग/विज्ञापन एंव होर्डिंग की एंजेसी को समस्त वैधानिक प्रावधानो/निर्देशो पालन करना अनिवार्य होगा।

उक्त अनुबंध में वर्णित शर्तो को स्वस्थ्य चित्त से दोनो पक्षों द्वारा स्वीकार कर अपने–अपने हस्ताक्षर गवाहों के समक्ष आज दिनांक .......................... को कर दिये कि सनद रहे एवं वक्त जरूरत पर काम आवे।

स्थान – ......................

दिनांक – ......................................

(1) पक्ष कमांक–1

..................................................

.................................................. (सफाई ठेकेदार)

..................................................

(2) पक्ष कमांक–2

..................................................

.................................................. सचिव

.................................................. कृषि उपज मण्डी समिति

.............जिला ...............